प0सं0-अपर आयुक्त (लेखा) बजट अनु0/25-26/ 383 / राज्य कर,

कार्यालय आयुक्त राज्य कर उ0प्र0,

(बजट अनुभाग)

लखनऊ ::दिनांक 18 सितम्बर, 2025

समस्त आहरण वितरण अधिकारी,
समस्त जोनल कार्यालय/राज्य कर, मुख्यालय उ0प्र0

कृपया पत्र के साथ संलग्न आयुक्त राज्य कर उ0प्र0 के आदेश संख्या–1372/रा0क0 प्रशि0शो0सं0/मिशन कर्मयोगी/ 2025–26/राज्य कर दिनांक 18.09.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आयुक्त महोदय ने समस्त जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 को निर्देश दिये है कि:–

मिशन कर्मयोगी के i-Got Portal पर उपलब्ध कोर्सों में जिन कार्मिकों के द्वारा एक भी कोर्स नहीं किया गया है उनका सितम्बर–पेड– अक्टूबर का वेतन का आहरण न करना सुनिश्चित करें।

आयुक्त महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में आपको निर्देशित किया जाता है कि जिन कार्मिकों द्वारा **i-Got Portal पर उपलब्ध कोर्सों में एक भी कोर्स नहीं किया गया है उनका सितम्बर–पेड– अक्टूबर का वेतन का आहरण न करना सुनिश्चित करें तथा जिन कार्मिकों का वेतन रोका जाये, उनकी सूचना से दिनांक 01.10.2025 तक प्रत्येक स्थिति में अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं होगी ।**

संलग्नकः–यथोपरि ।

(अशोक कुमार सिंह)
प्र0 अपर आयुक्त (लेखा)
राज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थः–

1– आयुक्त महोदय, राज्य कर, उ0प्र0 को सूचनार्थ प्रेषित।
2– अपर आयुक्त, राज्य कर उ0प्र0।
3– अपर आयुक्त (प्रशासन), राज्य कर उ0प्र0।

(अशोक कुमार सिंह)
प्र0 अपर आयुक्त(लेखा),
राज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ।

पत्रांक– 1372 / रा0क0प्रशि0शो0सं0 / मिशन कर्मयोगी / 2025–26 / राज्य कर

कार्यालय–आयुक्त राज्य कर

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लखनऊ:: दिनांक:: 18 सितम्बर 2025

समस्त जोनल अपर आयुक्त

राज्य कर उ0प्र0।

संयुक्त आयुक्त (स्था0 राजपत्रित / अराजपत्रित)

राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।

आप अवगत है कि मुख्यालय के पत्र संख्या–870 दिनांक 22.07.2025 द्वारा मिशन कर्मयोगी के i-Got Portal पर उपलब्ध कोर्सों में कम से कम एक कोर्स दिनांक 25.07.2025 तक करने के निर्देश दिये गए थे।

इसके उपरान्त मुख्यालय के पत्र संख्या–1046 दिनांक 11.08.2025 के द्वारा पुनः मिशन कर्मयोगी के i-Got Portal पर जी0एस0टी0 से सम्बन्धित लाभकारी कोर्सेज में अधिकाधिक कोर्सेज (कम से कम 05) करने तथा अन्यथा की स्थिति में वेतन रोकने पर विचार करने के निर्देश दिये गए थे, परन्तु अभी भी कुछ कार्मिकों के द्वारा एक भी कोर्स नहीं किया गया है।

उपरोक्त के क्रम में आप अपने अधीनस्थ कार्मिकों को i-Got Portal पर अधिकाधिक कोर्सेज (कम से कम 05) करने हेतु कड़े निर्देश देना सुनिश्चित करें तथा जिन कार्मिकों के द्वारा एक भी कोर्स नहीं किया गया है उनका सितम्बर–पेड–अक्टूबर का वेतन का आहरण न करना सुनिश्चित करें।

Digitally signed by
NITIN BANSAL
Date: 18-09-2025
15:23:00

(डा0 नितिन बंसल)

आयुक्त

राज्य कर उ0प्र0, लखनऊ।